न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

UPKS010004022026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–14 / 2026

वीरेन्द्र यादव बनाम उ0प्र0सरकार।

31.07.2026:

पत्रावली प्रस्तुत। बार–बार अन्तरालों पर पुकार करायी गयी परन्तु प्रार्थी की ओर से दाण्डिक प्रकीर्ण वाद पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत तिथि 20.02.2026, 23.02.2026, 27.02.2026, 09.03.2026, 13.03.2026, 19.03.2026, 28.03.2026, 10.04.2026, 27.04.2026, 07.05.2026, 18.05.2026, 30.05.2026, 06.06.2026, 04.07.2026 व 23.07.2026 को भी प्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी को अब प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः दाण्डिक प्रकीर्ण वाद बल न दिये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 31.07.2026

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 2025

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.08.01 10:08:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court